संख्या– 35 /xxx(4)/2018–03(13)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून।

कार्मिक अनुभाग–04 देहरादून, दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषयः– **विज्ञापन सं0–03/2015 पद कोड–07 के अन्तर्गत वैयक्तिक सहायक पद पर सम्पन्न चयन प्रक्रिया में 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर पात्रता विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विज्ञापन संख्या 03/2015, पद कोड–07 के अन्तर्गत सम्पन्न चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भर्ती प्रक्रियाओं में विज्ञापन के सिद्धान्त के दृष्टिगत पुनः मार्गदर्शन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– तद्क्रम में अवगत कराना है कि "चयन प्रक्रिया में प्रकाशित विज्ञापन एवं नियमावली के मध्य विरोधाभाष होने" के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा "Ranajit Kumar Meher Vs. State of Orissa & Ors. 2017 (2)SCC D886 (SC)" में दिनांक 13 फरवरी, 2017 को निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"In the affidavit filed on 15.10.2013 by the Joint Director, Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Sciences, Government of Orissa, it is stated that the petitioner does not have the qualification prescribed under the Orissa Non-Gazetted Veterinary Technical Services (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1983, as amended in the year 1997. The whole crux of the argument of the learned counsel for the petitioner is that he possesses the qualification as per the advertisement issued on 16.01.2004

2. Having heard the learned counsel appearing on both the sides, we are of the view that there cannot be any appointment in violation of the Rules. Qualification is to be seen with respect to the Rules and not the advertisement inviting applications. The appellant, admittedly, does not possess the qualification as prescribed under the Rules."

3– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहॉं विज्ञापन और नियमावली के मध्य विरोधाभाष हो, वहॉं नियमावली ही अभिभावी (PREVAIL) होगी, कोई भी भर्ती, सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं हो सकती। सिंचाई विभाग, उत्तरांचल आशुलिपिक सेवा (समूह"ग") नियमावली, 2003 में उल्लिखित अर्हतानुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने में कोई विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती है।

अतः प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

GENERAL DRAFT